

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

अपील संख्या : 10/2019(आरसीएमएस संख्या : 2019/00024)

कालूराम जाट पुत्र भंवरलाल जाट, जाति-जाट, निवासी-ग्राम देवगांव,
तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला-जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 विरुद्ध आज्ञा दिनांक 12.07.2019 तहसीलदार, चाकसू
जिला-जयपुर बमिसल संख्या 12/2019 उनवानी सरकार बनाम
कालूराम अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थित:-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. परोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक: 30.09.2019

तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 12.07.2019 द्वारा अपीलान्ट कालूराम जाट पुत्र श्री भंवरलाल जाट, जाति-जाट, निवासी-ग्राम देवगांव, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 408 कुल रकबा 1.26 हे० में से 0.50 हे० किस्म जमीन चरागाह पर रंजका व तारबंदी कर कब्जा कर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट्स को विवादग्रस्त आराजी से वेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 4 रुपये का 50 गुणा राशि रू० 200/-शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए./पटवारी हल्का को मांग कायमी, फसल रंजका जानवरों को चराने तथा तार व गड्ढों को जब्त कर वेदखली हेतु लिखे जाने के आदेश दिये गये हैं तथा बार-बार अतिक्रमण किये जाने की आदि होने के कारण तीन माह की सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।



अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोंडेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्य नारायण शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 12.07.2019 विधि-विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य-सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना और मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का आराजी खसरा नं0 408 चरागाह पर कोई अतिचार नहीं है अपीलान्ट-गैरसायल अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम पेशी को उपस्थित हुआ है और पीठासीन अधिकारी एवं पटवारी हल्का द्वारा यह आश्वासन देने पर कि यदि अपीलान्ट-गैरसायल की आराजी खसरा नं0 409 को खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान कराये जाने पर कब्जा खसरा नं0 409 पर हुआ तो बेदखल नहीं करेंगे और चरागाह पर कब्जा हुआ तो तुरन्त खाली कर देंगे। पीठासीन अधिकारी व पटवारी हल्का के आश्वासनानुसार अपीलान्ट-गैरसायल ने नोटेरी पब्लिक से शपथ-पत्र प्रमाणित करवाकर पेश कर दिया और आगे मुकदमा नहीं चलने व एक दो रोज में सीमाज्ञान करा देने के लिए कहा। अपीलान्ट-गैरसायल ने अपनी खातेदारी भूमि पर जो रंजका काश्त किया था उसकी सुरक्षा के लिए तार बंदी की थी जिसे निर्णय से पहले ही हटा दिया था क्योंकि रंजका की फसल भी समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद भी अपीलान्ट-गैरसायल की गैर-मौजूदगी में तथ्यों से परे मनमाने तौर पर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 12.07.2019 पारित की है जो अवैध एवं अप्राकृतिक अर्थात् नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट-गैरसायल का न तो कब्जा है और ना ही पहले कभी रहा है, इन तथ्यों से अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी को भी अवगत करा दिया था कि अपीलान्ट-गैरसायल का आराजी खसरा नं0 408 चरागाह की आराजी पर किसी प्रकार का अवैध रूप से अतिचार नहीं है और ना ही पूर्व में कभी इस आराजी पर अतिचार रहा है। तथ्यों से परे नोटिस दिया जाकर सिविल कारावास जैसी कठोर कारावास से दण्डित किया है जो विधि के विरुद्ध एवं तथ्यहीन होने से खारिज मान्य है। तहसीलदार ने बिना मौके की जांच किये व बिना तथ्यों की जांच किये



मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर कागजी कार्यवाही है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। पूर्व में किये गये अतिचार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, न ही पटवारी हल्का के बयान है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अतः अपीलान्ट-गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये शपथ-पत्र का अवलोकन किये बिना व बिना मौके की जांच किये, मौके से अन्यत्र कागजी खाना-पूर्ति कर अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 408 पर अतिचार बता दिया गया वास्तविक त्रुटि पटवारी हल्का ने की है और उसकी गहराई से बिना जांच पड़ताल किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो विधि-विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट-गैरसायल को पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी होना जाहिर कर सिविल कारावास की सजा दी है जबकि इस सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में कब अतिचार किया, कब्जा किस प्रकार किया एवं किससे अर्थात् मकान, बाड़ा बनाकर अथवा काश्तकर कब्जा किया हैं। अपीलान्ट के विरुद्ध अतिचार की कार्यवाही कब की और पूर्व में कब अपीलान्ट को बेदखल किया गया। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी पर अतिचार किया गया हो और तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये गये हो और अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो समस्त कार्यवाही फौरी तौर पर कागजी कार्यवाही कर सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड अपीलान्ट को तथ्यों व बिना किसी आधार के दिया गया है जो निरस्तनीय है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.07.2019 निरस्त फरमाई जावें ।

विद्वान् परोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट-गैरसायल को विधि-पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मात्र यह जाहिर किया है कि उसका विवादग्रस्त आराजी पर न तो कभी पूर्व में कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में कब्जा है। मौके पर अतिचार था अतिचार की रिपोर्ट करने के लिए पटवारी हल्का अधिकृत और अधिकृत कार्मिक द्वारा पूर्व व पश्चात्पूर्ती अतिचार की रिपोर्ट की है।



अपीलान्ट बार-बार अतिचार किये जाने का दोषी हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 09.07.2019 में विवादग्रस्त आराजी चरागाह होना दर्ज है और इस तथ्य पर कोई विरोधाभाष नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट-गैरसायल द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर यह जाहिर किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के सटवां उसकी खातेदारी भूमि है इसलिए उसका सीमाज्ञान कराया जावे। सीमाज्ञान पश्चात अपीलान्ट-गैरसायल का कब्जा खातेदारी भूमि में नहीं होने पर जो जानकारी के अभाव में अन्य कब्जा होगा उसे हटा लूंगा। राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलान्ट-गैरसायल को परेशान करने की नियत से अतिचार का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अपीलान्ट-गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से परीक्षण नहीं किया गया है मात्र यह अंकित करते हुए कि गैरसायल द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल अतिक्रमी है अतिक्रमण नहीं हटाया गया है अतः गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि नियत दिनांक को गैरसायल उपस्थित रहे तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसकी खातेदारी के लगवां चरागाह है जिसका सीमांकन पश्चात चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पाया गया तो हटा लूंगा। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी अथवा गैरसायल की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 409 का सीमाज्ञान नहीं कराया गया है जब पीठासीन अधिकारी के समक्ष यह तथ्य प्रकट हो चुके थे कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट-गैरसायल की खातेदारी आराजी के लगवां है और उसके द्वारा कोई अतिचार नहीं किया गया है, सीमाज्ञान कराया जावे अतिचार पाया गया तो उसे उसके द्वारा हटा लिया जावेगा तो पीठासीन अधिकारी को प्रकरण के निष्कर्षण से पूर्व सीमाज्ञान कराया जाना नितान्त आवश्यक था जो कि पत्रावली में साक्ष्यों से यह जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सीमाज्ञान नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि अतिचार ठहराये जाने का कोई ठोस आधार



नहीं है तो अपीलाधीन आज्ञा को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 के विशेष विवरण कॉलम में पूर्व में बेदखल किया गया, अंकित किया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में किस सम्वत् व किस फसल में कौनसा अतिचार किये जाने के परिणामस्वरूप कौनसा प्रकरण दर्ज किया गया और सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश किस पत्रावली संख्या/उनवान में कब दिये गये और किन आदेशों की पालना में बेदखल किया गया। पूर्व में बेदखल किये जाने के समर्थन में पटवारी हल्का के बयान भी लिये जाना पत्रावली पर जाहिर नहीं होता है। अतः पश्चात्वर्ती अतिचार को भी दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से पश्चातवर्ती अतिचार सिद्ध न होने से सिविल कारावास जैसी कठोर दण्ड की आज्ञा को न्याय-संगत नहीं पाते हैं। उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.07.2019 निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट-गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र के परिपेक्ष्य में तथ्यों की दस्तावेजों के आधार पर जाँच कर व मौके की जाँच कर तथा अपीलान्ट-गैरसायल को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्याय-संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर